FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बिन्द्र सिंह **बनाम** प्रधान कौर आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 10२ सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/५11

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.12.2024	प्रार्थी बिन्द्र सिंह पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया। हस्तगत प्रकरण के मूलवाद में प्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। प्रार्थी के द्वारा मूलवाद में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली मूलवाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के निस्तारण तक संलग्न की जावे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	
२८/३/२५	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA नोटप्रेस किया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (मोहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर))	न0 [illegible] 212 RTA [illegible] किया गया (हस्ताक्षर) 28/3/25